

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- चेतन चौहान, आरएएस कार्यवाहक जिला कलक्टर

मुकदमा नम्बर :- 04/2023

(जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/9)

उनवान प्रकरण:-

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनांक, प्रवर्तन निरीक्षाक धौलपुर

प्रार्थी।

बनाम

श्री मानवेन्द्र पुत्र श्री गोपाल सिंह उम्र 33 वर्ष जाति ठाकुर निवासी दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

- 1 - प्रार्थी की ओर से :- श्री गजेन्द्र सिंह जिला रसद अधिकारी धौलपुर
- 2 - अप्रार्थी की ओर से :- स्वयं श्री मानवेन्द्र



निर्णय

दिनांक 23.01.2023

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 13.01.2023 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर एवं प्रार्थी द्वारा ओम बीकानेर मिष्ठान भण्डार सैपऊ पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक कार्यों में उपयोग होने पर जांच की गई। मौके पर ओम बीकानेर मिष्ठान भण्डार के परिषर में कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों पर खाद्य सामग्री बनना पाया गया। मौके पर दुकान में श्री मानवेन्द्र पुत्र श्री गोपाल सिंह उम्र 33 वर्ष जाति ठाकुर निवासी दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। श्री मानवेन्द्र से उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों के इस्तेमाल बावत तथा उनके दस्तावेजों संबंधी पूछताछ की गई जिस बावत उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया गया और पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी इस बावत कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर मानवेन्द्र द्वारा उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर (आई.ओ. सी.एल. कम्पनी) के बावत दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर सैपऊ स्थित पिताम्बरा इण्डेन ग्रामीण वितरक के मैनेजर श्री अमित कुमार पुत्र लाखनसिंह जाति ब्राह्मण निवासी सैपऊ की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः

(Handwritten signature)

निवेदन है कि 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 93 किलोग्राम तथा एक भट्टी(चूल्हा) मय पाईप को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु है। अतः धारा 6ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द अभिग्रहण दिनांक 13.01.23, फर्द सुपुर्दगीनामा दिनांक 13.01.23 एवं नजरी नक्शा की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असातन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें।

अप्रार्थी मानवेन्द्र स्वयं उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उसने कथन किया कि प्रार्थी की मिठाई की दुकान पर किसी प्रकार के घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग नहीं किया जाता है। व्यावसायिक कार्य में केवल एन.डी.गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जाता है। दिनांक 13.01.2023 को मेरी दुकान पर की गई जांच के दौरान में दुकान पर उपस्थित नहीं था उस समय दुकान पर रखे घरेलू गैस सिलेण्डर मेरे घरेलू कार्य में उपयोग किये जाने वाले सिलेण्डर थे एवं उनके समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। जांच के समय दुकान पर कार्यरत मेरे हैल्पर के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण वह जांच दल को दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। उक्त सभी गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। उन्होंने अपने जबाव के साथ गैस कनेक्शन पासबुक की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को निरस्त कर जब्तशुदा सिलेण्डरों को प्रार्थी को वापस दिलवाये जाने की कृपा करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी ने अपनी वहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की मिठाई की दुकान पर किसी प्रकार के घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग नहीं किया जाता है। व्यावसायिक कार्य में केवल एन.डी.गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जाता है। दिनांक 13.01.2023 को मेरी दुकान पर की गई जांच के दौरान में दुकान पर उपस्थित नहीं था उस समय दुकान पर रखे घरेलू गैस सिलेण्डर मेरे घरेलू कार्य में उपयोग किये जाने वाले सिलेण्डर थे एवं उनके समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। जांच के समय दुकान पर कार्यरत मेरे हैल्पर के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण वह जांच दल को दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। उक्त सभी गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। गैस कनेक्शन पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ पेश की है। अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को निरस्त कर जब्तशुदा सिलेण्डरों को प्रार्थी को वापस दिलवाये जावें।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित कथनों को स्वीकार करते हुये कथन किया कि जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को वापिस किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनांक 13.01.2023 को जिला रसद अधिकारी व

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ओम बीकानेर मिष्ठान भण्डार सैपऊ पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक कार्यों में उपयोग होने पर जांच करने पहुंचें। मौके पर ओम बीकानेर मिष्ठान भण्डार सैपऊ के परिषर कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों पर खाद्य सामग्री बनना पाया गया। अप्राथी से उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों के इस्तेमाल बावत तथा उनके दस्तावेजों संबंधी पूछताछ की गई जिस बावत उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया गया और पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी इस बावत कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। यहाँ पर अप्राथी का कथन है कि प्रार्थी की मिठाई की दुकान पर किसी प्रकार के घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं किया जाता है। व्यावसायिक कार्यों में केवल एन.डी.गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जाता है। दिनांक 13.01.2023 को मेरी दुकान पर की गई जांच के दौरान में दुकान पर उपस्थित नहीं था उस समय दुकान पर रखे घरेलू गैस सिलेण्डर मेरे घरेलू कार्य में उपयोग किये जाने वाले सिलेण्डर थे एवं उनके समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। जांच के समय दुकान पर कार्यरत मेरे हैल्यर के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण वह जांच दल को दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। उक्त सभी गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। गैस कनेक्शन पास बुक की फोटो प्रति जबाब के साथ पेश की है। गैस सिलेण्डरों पर मिष्ठान भण्डार की कोई भी खाद्य सामग्री नहीं बनायी जा रही थी।


प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्राथी के द्वारा प्रस्तुत जबाब में अंकित कथनो एवं प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करते हुये अप्राथी से जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अप्राथी को वापिस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 9.3 किलोग्राम तथा एक भट्टी(चूल्हा) मय पाईप को अप्राथी को वापिस किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह प्रकरण में जब्त शुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 9.3 किलोग्राम तथा एक भट्टी(चूल्हा) मय पाईप को अप्राथी मानवेन्द्र पुत्र श्री गोपाल सिंह उम्र 33 वर्ष जाति ठाकुर निवासी दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को वापिस किया जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चेतन चौहान)
कार्य वाहक जिला कलेक्टर,
धौलपुर